

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(392/36)2020/एफसीए/प्रमुवसं./3380

दिनांक 25/11/24

विशिष्ट शासन सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
राजस्थान सरकार,  
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of JIO DIGITAL FIBER PVT. LTD. for laying underground OFC in ROW of existing road from Vijaipur-Rajasthan (MP Border) from Lat/long point 24.705116/75.519275 to 24.735003/75.339779 for total length of 21.252 KM and toatl area 0.956 ha. (Length and area in Forest are 8.844 KM & 0.398 ha. & Length & area in Non-Forest are 12.408 KM & 0.558 ha.) along PWD roads in Chittorgarh District.

(Proposal no. FP/RJ/OFC/44367/2020)

संदर्भ:-राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1(101)वन/2021 दि. 07.01.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

| क्र.सं. | आक्षेप                                                                                                                                                                                               | सूचना                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।                                                                                                                                                 | वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।                                                                                                                    |
| 2       | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।                                                                                                                           | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।                                                                                                     |
| 3       | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। | परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है। |
| 4       | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।                              | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।                       |
| 5       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प न ही लगाया जावेगा।                                                                          | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प न ही लगाया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी है, जो संलग्न है।                                |
| 6       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।                                           | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति नहीं की जायेगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है जो संलग्न है।                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है। |
| 8  | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।                                                            |
| 9  | प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यूजर एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है (प्रति संलग्न)                                                                                                           |
| 10 | राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उच्च कार्यालय से संबंधित है।                                                                                                                                                                                           |
| 11 | भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दि. 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना की जा चुकी है। हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। (प्रति संलग्न है।)                                                                    |

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,

*Sh. Kh*

( शिखा मेहरा )

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(392/36)2020/एफसीए/प्रमुवसं./

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

दिनांक

( दिनेश कुमार गुप्ता )

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

## कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक एफ ( ) मुवसं/एफसीए./2024-25/7364

दिनांक :- 12-11-2024

निमित्त

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय :-** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of JIO DIGITAL FIBER PVT LTD laying underground OFC in ROW of existing road from Vijaipur - Ratangarh (MP Border) from Lat/long point 24.705416/75.519275 to 24.735003/75.339779 for total length of 21.252 KM and total area 0.956 ha. (Length and area in Forest are 8.844 KM & 0.398 ha & Length & area in Non -Forest are 12.408 KM & 0.558 ha) along PWD roads in Chittorgarh District (FP/RJ/OFC/44367/2020)

**प्रसंग :-** आपका पत्रांक 277 दिनांक 20.01.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प. 1(101) वन/2021 दिनांक 07.01.2022 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक/एफसीए/उवसं/ 2023-24/11311 दिनांक 30.10.2024 से तैयार कर एवं साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार पालना रिपोर्ट तैयार की जाकर मूल ही दो प्रति में पत्र के संलग्न प्रेषित है।

| क्र.सं. | शर्त विवरण                                                                                                                                                                                            | अनुपालना                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।                                                                                                                                                 | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबध्ता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |
| 2       | प्रत्यावर्तन वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।                                                                                                                             | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबध्ता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |
| 3       | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबध्ता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |
| 4       | प्रत्यावर्तन क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।                               | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबध्ता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |
| 5       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।                                                                           | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबध्ता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |
| 6       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत                                                                                                                                        | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबध्ता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |

Signature valid

Digitally signed by Sunil Chidh  
Designation: Chief Conservator Of  
Forest

Date: 2024.11.12 18:10:46 IST

Reason: Approved

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | मजदूरों/स्टोफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।                                                                                                                                                                       |
| 7  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।                                                                                                                       |
| 8  | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।                                                                                                                       |
| 9  | प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक/ 12-81322/1848 दिनांक 24.7.2024 द्वारा जारी किया गया एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो संलग्न है। |
| 10 | राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।                                                                                                                       |
| 11 | भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.7.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है तथा समाचार पत्रों की प्रति प्रस्तुत की जो संलग्न है।                                                                                 |

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 2 सेट।

भवदीय

(सुनील चिद्री  
मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2024-25/

दिनांक :

**प्रतिलिपि:**—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1—उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 11311 दिनांक 30.10.2024 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में सक्षम स्वीकृति के बिना उक्त वन क्षेत्र में गैरवानिकी कार्य ना हो यह भी सुनिश्चित करे।
- 2— मैनेजर जियो डिजीटल फाइबर प्रा.लि. कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Chidri  
Designation: Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2024.11.12 18:10:46 IST  
Reason: Approved

## कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़-312001; Ph&amp;Fax : 01472-294001; email : def.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2024 -25/ 11311

दिनांक : 30.10.2024

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर

**विषय :-** laying underground OFC in ROW of existing road from Vijaipur - Ratangarh (MP Border) from Lat/long point 24.705416/75.519275 to 24.735003/75.339779 for total length of 21.252 KM and total area 0.956 ha. (Length and area in Forest are 8.844 KM & 0.398 ha & Length & area in Non -Forest are 12.408 KM & 0.558 ha) along PWD roads in Chittorgarh District (FP/RJ/OFC/44367/2020)

**प्रसंग :-** राजस्थान सरकार, वन विभाग, के पत्र क्रमांक प. 1(101) वन/2021 दिनांक 07.01.2022 के क्रम में।

**संदर्भ :-** मैनेजर जियो डिजीटल फाइबर प्रा.लि. कोटा पत्र क्रमांक FP/RJ/OFC/44367/2020/ Compliance/01 दिनांक 02.9.2024 इस कार्यालय में प्राप्त 21.10.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन पश्चात निम्नानुसार प्रेषित है :-

| क्र.सं. | शर्त विवरण                                                                                                                                                                                            | अनुपालना                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।                                                                                                                                                 | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |
| 2       | प्रत्यावर्तन वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।                                                                                                                             | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |
| 3       | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |
| 4       | प्रत्यावर्तन क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।                               | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |
| 5       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।                                                                           | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |
| 6       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।                                            | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है। |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।                                                                                                                      |
| 8  | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।                                                                                                                      |
| 9  | प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक/12-81322/1848 दिनांक 24.7.2024 द्वारा जारी किया गया एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो संलग्न है। |
| 10 | राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।                                                                                                                      |
| 11 | भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.7.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। | उक्त पालना के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबधता प्रस्तुत की है तथा समाचार पत्रों की प्रति प्रस्तुत की जो संलग्न है।                                                                                |

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त पालना रिपोर्ट 3 प्रति में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 3 सेट।

भवदीय

(विजय शंकर पाण्डेय)  
उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2024-25/ 11312-13

दिनांक : 30/10/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान - जयपुर।
2. मैनेजर जियो डिजीटल फाइबर प्रा.लि. कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।

(विजय शंकर पाण्डेय)  
उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## पालना रिपोर्ट

प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020

**Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for underground OFC laying work in forest area in district Chittorgarh (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)**

प्रस्ताव संख्या **FP/RJ/OFC/44367/2020** की सैद्धान्तिक स्वीकृति श्रीमान शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान ने अपने पत्र क्रमांक प.1 (101)वन/2021 दिनांक 07.01.2022 द्वारा जारी कर दी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

| क्रमांक | शर्त                                                                                                                                                                                                 | पालना रिपोर्ट                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।                                                                                                                                                | स्वीकार है                                                                                                       |
| 2.      | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।                                                                                                                           | स्वीकार है                                                                                                       |
| 3.      | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। | स्वीकार है                                                                                                       |
| 4.      | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।                              | स्वीकार है                                                                                                       |
| 5.      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।                                                                          | स्वीकार है                                                                                                       |
| 6.      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/कैरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।                                           | स्वीकार है                                                                                                       |
| 7.      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।                                            | स्वीकार है                                                                                                       |
| 8.      | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।                                                                                              | स्वीकार है                                                                                                       |
| 9.      | प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।                                                     | जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 07.01.2022 को एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) |

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

FCA Proposal  
C.S.

JAIPUR OFFICE: First Floor, Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur-302001

(J. SHANKAR PANDEY)

D.C.F. CHITTORGARH

Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India.

Tel no: 079-35600100

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सहमत हैं।                                                                                                |
| 11. | भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। | अनुपालना की जा चुकी है। हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। |

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

FCA Proposal  
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 1

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कंपनी वचनबद्ध है।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजिटल फाइबर प्राईवेट लिमिटेड  
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

  
Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal  
C.S.

  
(MJAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 2

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal  
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 3

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किया जायेगा।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

  
Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुरेश सिंगल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal  
C.S.

  
(M.JAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 4

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.



Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal  
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 5

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

  
Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal  
C.S.

  
(M. JAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 6

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/कैरासिन तेल आपूर्ति की गई है, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं किया जायेगा ।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

  
Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal  
C.S.

  
(VIJAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 7

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड  
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

  
Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal  
C.S.

  
(VIJAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 8

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

  
Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal  
C.S.

  
(M. JAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 9

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव से सम्बंधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न है।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड  
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

  
Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal  
C.S.

  
(VIJAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

रजिस्टर्ड

कार्यालय जिला परिषद, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/जिपचि/पंचायत/2024/1872

दिनांक:- 02/08/2024

रिलायन्स प्रोजेक्ट एण्ड प्रोपर्टी

मेनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड

पता-अपर ग्राउण्ड फ्लोर,

रिलायंस मार्केट प्लॉट न. बी-1

सुजुकी कॉलोनी, गुरुनानक पेट्रोल पंप के सामने

हमीरगढ़ रोड, भीलवाड़ा-311001 (राज.)

विषय :-फोरेस्ट राईट एक्ट 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत।

प्रसंग :-आपका पत्र क्रमांक व-15 (भील/जिओ/FRA/2024/SPL-1 दिनांक 02.05.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्रानुसार लेख है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक/11-9/98-एफसी दिनांक 03.08.2009 में दिये गये निर्देशानुसार जियो डिजीटल फाईबर प्रा. लि. को विभिन्न स्थानों पर भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने हेतु आवेदन किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 11.06.2024 को जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जियो डिजीटल फाईबर प्रा. लि. को विभिन्न स्थानों पर भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने का प्रस्ताव लिया गया तथा इनको प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

1. विजयपुर से मध्यप्रदेश सीमा तक (1.045 हैक्टयर)
2. विजयपुर से रूप पुरा तक (0.1828 हैक्टयर)
3. गांधी सागर (मध्यप्रदेश) से रतनगढ़ तक (0.398 हैक्टयर)

अतः उपरोक्त 03 प्रस्ताव के संबंध में मूल 03 प्रमाण पत्र आपको पत्र के साथ सलंगन कर भिजवाये जा रहे हैं।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, चित्तौड़गढ़

FCA Proposal  
C.S.

(VIJAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

FORM-I  
( for linear projects)  
Government of Rajasthan  
Office of the Zila Parishad Chittorgarh

No Rev/12-81322/1850

Dated. 24 July 2024

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.398 hectares of forest land within ROW of existing road from Vijaipur - Ratangarh (MP Border) proposed to be diverted in favour of JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LTD. for laying of Underground Optical Fibre cable within the ROWs of the above mentioned Roads in Chittorgarh district falls within jurisdiction of Tolo ka luhariya, Gujaro ki Morvan, Balkundikalan, Devpura, Bawdikheda, Kanwarpura, Muavda, & Kuakheda villages in Rawatbhata tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.398 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Right Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure - to annexure -II
- (b) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Enci; AS above

  
District Collector  
Chittorgarh (Raj.)

Copy to: ROW Manager, JIO Digital Fibre Pvt Ltd., Kota.

  
District Collector  
Chittorgarh (Raj.)

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

  
Authorized Signatory

FCA Proposal  
C.S.

  
JAY SHANKAR PANDEY  
D.C. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 10

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। जिससे कंपनी सहमत है।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

  
Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

**FCA Proposal  
C.S.**

  
(VIJAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

# JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

## Condition No. 11

**Full Title of the Project :** Diversion of 0.398 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) , District Chittorgarh (Rajasthan) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/44367/2020)

**Proposal No. :** FP/RJ/OFC/44367/2020

**Date of Proposal :** 04.02.2020

**Proposal Diversion Area :** 0.398 ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित किया गया है, प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को भी उपलब्ध करा दी गयी।

स्थान : जयपुर

दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड  
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

  
Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FCA Proposal  
C.S.

  
(VIJAY SHANKAR PANDEY)  
D.C.F. CHITTORGARH

18 बजे, रावथा रोड से 2.18 बजे, दरा  
जै, कंवलपुरा से 2.40 बजे, मोड़क से  
रामगंजमंडी से 3.00 बजे, झालावाड़  
1.10 बजे, धुआंखेड़ी से 3.18 बजे,  
से 3.35 बजे, कुरलासी से 3.48 बजे,  
5.58 बजे, शामगढ़ से शाम 4.10 बजे,  
4.23 बजे, नाथूखेड़ी से 4.30 बजे,  
4.45 बजे, तलावली से 4.51 बजे,  
5.00 बजे, विक्रमगढ़ आलोट से 5.15  
रिछा से 5.30 बजे, महिदपुर से 5.50  
खुर्द से शाम 6.15 बजे प्रस्थान करके  
8.45 बजे पहुंचेंगी।

# लाख का सामान जला

नारायणपुर, (निसं)। कस्बा स्थित  
शहीदों के बास मोहल्ले में सहकारी  
समिति के पास रात्रि को अज्ञात  
कारण से एक दुकान में आग लगने से  
4 लाख रुपये का सामान जलकर राख  
हो गया। जानकारी के अनुसार मदन  
लाल सैनी निवासी कोटपुतली गत 13  
वर्षों से कस्बे में डीजल पंप रिपेयरिंग  
की दुकान करता था बीती रात को  
दुकान में आग लग गई जिससे दुकान

में रखी कंप्यूटराइज्ड डीजल पंप  
रिपेयर मशीन, मोटर ग्राइंडर सहित  
अन्य आवश्यक उपकरण आग से जल  
गये। जिनकी करीब 4 लाख रुपये  
कीमत बताई जा रही है। दुकानदार मदन  
लाल को आग लगने की सूचना पड़ोसी  
के द्वारा सुबह सवा 6 बजे फोन पर दी  
गई। जब तक दुकान में रखा सारा  
सामान जल चुका था मौके पर पहुंच  
कर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए।

## भीलवाड़ा जिले में 213 नये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में कोरोना  
संक्रमण की स्थिति इन 14 दिनों में  
चार गुना तक बढ़ चुकी है। शुक्रवार  
को फिर से जिले में संक्रमित मरीज दो  
सौ के पार आए हैं। लगातार बढ़ रहा  
संक्रमण जिले के लिए खतरा भी बनता  
जा रहा है। संक्रमण से अब लोगों में  
फिर से डर भी नजर आने लगा है। बढ़ते  
संक्रमण का असर जिले के बाजार व  
अन्य स्थानों पर नजर आने लगा है।

इधर, जिले में मरीजों की संख्या  
काफी तेजी से बढ़ ती जा रही है लेकिन  
अभी रिकवरी रेट काफी कम है। साथ

ही सामने आ रहे मरीजों में संक्रमण के  
गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। डिप्टी  
सीएमएचओ डॉ. घनश्याम चावला ने  
बताया कि जिले में शुक्रवार को 213  
पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। उन्होंने  
बताया कि संक्रमण के लिए भीलवाड़ा  
में सबसे ज्यादा सुभाष नगर हॉस्पिटल  
बना हुआ है। शुक्रवार को सुभाष नगर  
में फिर से 29 मरीज सामने आए हैं।  
वहीं शास्त्री नगर में 21, सुवाना में 19  
तो बापूनगर में 21 मरीज सामने आए  
हैं। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में  
भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है।

## हनुमानगढ़ जेल बनी कोरोना एपिसेंटर

हनुमानगढ़, (निसं)। कोविड की नई  
लहर में हनुमानगढ़ जेल एपिसेंटर  
बनती नजर आ रही है। 12 जनवरी को  
लिए गए सैपल की शुक्रवार को आई  
रिपोर्ट में 54 बंदी और जेल स्टाफ के  
2 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए  
हैं। इससे पहले मंगलवार को भी 13  
बंदी पॉजिटिव पाए गए थे। जेल में पहले  
ही क्षमता से कहीं अधिक बंदी है, इस  
कारण स्थितियां बिगड़ने के आसार हैं।

जिले में कुल 348 नए पॉजिटिव  
रोगी मिले हैं, जबकि एक रोगी की  
रिपीट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य

### जेल स्टाफ के 2 कर्मचारी और 54 बंदी संक्रमित मिले

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार  
12 जनवरी को लिए गए 2 हजार 136  
सैपल की रिपोर्ट मंगलवार को मिली है।  
कुल सैपल में 1695 रिपोर्ट निगेटिव  
आई है, जबकि 71 के रिपीट फ्रेश  
सैपल मांगे गए हैं। इधर, कोरोना  
संक्रमित बच्चों की संख्या भी लगातार  
बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के  
अधिकारी आंकड़े जुटाने में लगे हुए हैं।

राजस्थान सरकार वन विभाग  
क्रमांक: P.1 (101) वन/2021/अन्य रिजर्व 7.1.2022  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर

विषय: Division of 0.398 ha. of forest land in Favour of Jio Digital Fiber Pvt.Ltd. for Laying Underground OFC in ROW of existing Road from Valspur-Ratangarh (MP Border) from Lat/Long Point 24.705416/ 75.519275 to 24.735003/ 75.339779 for total length of 21.252 KM and total area 0.956 ha. (Length and area in Forest are 8.844 KM & 0.398 ha & Length & area in Non-Forest are 12.408 KM & 0.558 ha.) Along PWD roads in Chittorgarh District (F.P.R./OFC/44387/2020)

संदर्भ: आयका प्रजांक एक 14 (392)/36/2020/एनएमए/महोदय, प्रमुख/2149 दि. 22.11.2021

संगत: विद्यमानता घोषणा प्रत्यक्ष में Jio Digital Limited (प्रोजेक्ट अधिकार) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.298 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति जारी है। प्रोजेक्ट अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किए गए इलाक पर विचारोपयोग प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति वाक्य जारी रिजर्व भूमि एवं खेती निर्दिष्ट दिनांक 27.07.2021 के परिपत्र में Division of 0.398 ha. of forest land in Favour of Jio Digital Fiber Pvt.Ltd. for Laying Underground OFC in ROW of existing road from Valspur-Ratangarh (MP Border) from Lat/Long Point 24.705416/ 75.519275 to 24.735003/ 75.339779 for total length of 21.252 KM and total area 0.956 ha. (Length and area in Forest are 8.844 KM & 0.398 ha & Length & area in Non-Forest are 12.408 KM & 0.558 ha.) Along PWD roads in Chittorgarh District की वैधानिक स्वीकृति बिना कृषि के जलन स्थित भूमि वर्ग के अध्याधीन प्रारंभ करनी है:-

1. वन भूमि को वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य उपयोग के लिये नहीं किया जाएगा।
3. वास्तविक विभाग द्वारा परीक्षण के निष्कर्ष एवं रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र को वनरक्षित एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनकी सुरक्षा हेतु समस्त उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में वैधानिक स्थिति वाले कृषि एवं वन विभाग को बिना पूर्वाज्ञा के नहीं कहा जाये। जलन क्षेत्र में वांछित वेद परिवर्तन होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रोजेक्ट अधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थान/बनबंदी के आस-पास पशुओं/पक्षियों के लिए किसी भी प्रकार का क्षति नहीं लगेगा।
6. प्रोजेक्ट अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को स्मॉल मैस/केरेसिन तेल आगुल को बांधेंगे, उचित विकल्पों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
7. प्रोजेक्ट अधिकारी द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के परिवर्तन के समय-स्थान की वनभूमि के/पर निर्धारित कार्य के दौरान निर्धारित/पक्षकार कार्य या परने का कार्य नहीं किया जाएगा।
8. प्रोजेक्ट अधिकारी वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा स्थितियों का पालन करेगा।
9. प्रोजेक्ट अधिकारी, वैधानिक स्वीकृति की योजना के साथ एक आर.ए. स्टैंडर्डिज्ड प्रस्तुत करेगा। तदनुसार ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
10. राज्य सरकार द्वारा की गई वन भूमि को वास्तविक में परिवर्तित करीब कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के प्रजांक 7 23/2013/एनएमए दि. 24.07.2013 से मानवीय क्षेत्र नियंत्रण द्वारा दिनांक 7.1.2012 को जारी निर्देशों को मान्यता प्रमाण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रस्ताव में जारी स्वीकृति को सुबह एनएमए एवं एनएमए में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित प्रकाशित एवं जारी स्वीकृति को प्रमाणित स्वीकृति प्रमाणित एवं जारी स्वीकृति के राजकीय अधिकारियों का स्वीकृति प्रमाण के 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय,  
(बी.प्रवीण) सहायक सचिव

Authorized Signatory

A-4 - 44367

FOA Proposal  
C.S.

SHANKAR PANDEY  
CHITTORGARH